सं. 24013/50/विविध/2016-सी एस आर.III

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

एन डी सी सी II भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली दिनांक 9 अगस्त, 2016

सेवा में,

मुख्य सचिव,
सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

विषय: गाय संरक्षण के नाम पर बदमाशों द्वारा कानून और व्यवस्था भंग करने और देश में पशुओं के संबंध में अप्रिय घटनाओं के बारे में परामर्शी-पत्र।

महोदय/महोदया,

भारतीय संस्कृति और इतिहास में ऐतिहासिक रूप से पशुओं को बहुत विशेष, सम्मानीय और आदर का दर्जा प्रदान किया गया है। इस संबंध में, राष्ट्रपिता ने कहा था कि "मेरे लिए गाय संरक्षण मात्र गाय का संरक्षण ही नहीं है। इसका अभिप्राय है उन जीवों का संरक्षणहै (जो) संसार में असहाय और कमजोर हैं"।

2. इसके अतिरिक्त राज्य की नीति के निदेशक तत्व गाय के परिरक्षण का प्रावधान करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 इस प्रकार कठित है :-

"48. कृषि और पशुपालन का संगठन - राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।"

3 सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 15 "पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीव जंतुओं के रोगो का निवारण; पशुचिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय" राज्यों को आबंटित करती है। परिणामस्वरूप गाय संरक्षण और पशुवध पर प्रतिबंध से संबंधित कानून राज्य दर राज्य भिन्न हैं।

4. जिन राज्यों में गाय वध कानून द्वारा प्रतिबंधित है, वहां यह वध कानून का उल्लंघन करना और एक अपराध माना जाएगा।

5. **तथापि, यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कथित वधकर्ताओं को अपने आप से रोकने और कथित कर्ताओं को दंडित करने के लिए अधिकार नहीं देता है।**

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के अनुसार कतिपय अपराधों के होने की और इसके आशय की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे होने या ऐसे आशय की सूचना नजदीकी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देना अपेक्षित है। इस प्रकार, यदि कोई अपराध कारित किया जाता है, या किया जाने वाला है तो ऐसे अपराध या अपराध की संभावना को विधि अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस प्राधिकारियों या मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाया जाना अपेक्षित है। **कोई भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थितियों में कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है।**

7. ऐसा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से संगत विधियों के अंतर्गत कड़ाई से निपटना चाहिए और उन्हें कठोरतम सजा देने हेतु यथासंभव शीघ्र माध्यम से न्यायालय में लाया जाना चाहिए।

8. हाल ही में कुछ ऐसी घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है जिनमें कतिपय व्यक्तियों या समूहों ने गाय संरक्षण के नाम पर कानून को अपने हाथ में लिया है और इसके अनुसरण में अपराध कारित किए हैं। यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है।

9. इस प्रकार, राज्यों को आदेश दिया जाता है और उनसे यह आशा है कि वे कानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी व्यक्ति से विधि के अनुसार शीघ्रता से निपटना और दंड देना सुनिश्चित करें। ऐसे सभी व्यक्तियों के प्रति कोई उदारता नहीं बरती जानी चाहिए और बिना किसी अपवाद के कानूनी गरिमा के प्रभाव के अनुरूप इनसे निपटा जाना चाहिए।

भवदीय,
दिलीप कुमार
(दिलीप कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23438100

प्रतिलिपि सूचनार्थ और आवश्यक अनुपालन हेतु:-

1. प्रधान सचिव/सचिव गृह - सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
2. पुलिस महानिदेशक - सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

मनीराम
(मनीराम)
अवर सचिव, भारत सरकार